IS 15700:2018

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–कानपुर–01,

सेवोत्तम प्रमाणित

आफिस काम्पलेक्स योजना सं.–1, कल्यानपुर कानपुर
E-Mail- eecdkanpur01@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS
मानक: पथप्रदर्शक
Bureau of Indian Standards
SQMS

पत्र सं0– / / दिनांक–

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई–निविदा, टू–बिड पद्धति में निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रतिशत आधार पर आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, कानपुर–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स, कल्यानपुर, कानपुर स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जाएंगी। कार्यों की मात्राएं बी.ओ.क्यू. के अनुसार होंगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि(माह)
1	2	3	4	5	6	7
1	टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड(टी.टी.एल.) के सहयोग से जनपद कानपुर देहात की तहसील– अकबरपुर में स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक, एम.एम.आई.टी. अकबरपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापना सम्बन्धी आवश्यक निर्माण कार्य।	बी.ओ.क्यू. के अनुसार	रू 568.75	रू 11.38	रू 7500.00 + 18% जी.एस.टी.	12 माह

नियम एवं शर्तें :–

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से निविदा में उल्लिखित बैंक खाते (विवरण निम्नानुसार है), में ही निर्धारित तिथि व समय तक जमा करायी जायेगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कानपुर–01 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कानपुर	Union Bank of India, Kalyanpur, Kanpur	349501010130104	UBIN0534951

2. **महत्वपूर्ण तिथियां :–**

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1.	ई–निविदा प्रकाशन तिथि	24.01.2026	
2.	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर0टी0जी0एस0 करने की प्रारम्भ तिथि	27.01.2026	अपरान्ह 5.00 बजे से
3.	वांछित धनराशि की आर0टी0जी0एस0 करने की अन्तिम तिथि	24.02.2026	अपरान्ह 5.00 बजे तक
4.	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	25.02.2026	अपरान्ह 5.00 बजे तक
5.	बिड खोले जाने की तिथि	26.02.2026	दोपहर 12.00 बजे तक
6.	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	अलग से सूचित की जायेगी।	

3. निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर.टी.जी.एस. के यू.टी.आर. नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
4. निविदा प्रपत्र परिषद क़ी वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मो द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती हैं।
5. शासनादेश संख्या 622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी.सी.–2 दिनांक 8.6.2012 एवं मुख्य अभियन्ता(म0), लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या–2539/अभि0अनु0/परफॉर्मेन्स सिक्योरिटि/01 दिनांक 09.08.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बी.ओ.क्यू. की दरों से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार **किसी**

राष्ट्रीयकृत बैंक(केनरा बैंक को छोड़कर) से निर्गत एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कानपुर–01, के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करनी होगी।

अ. 10 प्रतिशत Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

ब. 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर।

6. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जाएगी।
7. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।. पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
8. निविदाओं की बी.ओ.क्यू. में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा तथा कार्यस्थल मे परिवर्तन होने पर उपरोक्तानुसार निविदादाता का परिवर्तित कार्यस्थल मान्य होगा।
9. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
10. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक(कैनरा बैंक को छोड़कर) से निर्गत एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कानपुर–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स कल्यानपुर, कानपुर के पक्ष में बंधक हो निविदा स्वीकृति पत्र के निर्गमन तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर जी.पी.डब्लू.–09 फार्म में उल्लिखित क्लाज(1) के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
12. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
13. निविदादाता/फर्म को जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। कार्य की लागत में जी.एस.टी. सम्मिलित नहीं है। नियमानुसार देयता के आधार पर जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा। निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस, जी.एस.टी.(टी.डी.एस.), रायल्टी तथा अन्य कर जो भी सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
14. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।
15. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् तीन वर्ष की होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि नगद के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।
16. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग तथा परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराए जाएगें तथा केवल परिषद में अनुमोदित लेटेस्ट ब्राण्ड/सामग्री का ही प्रयोग किया जायेगा।
17. जी.पी.डब्लू–9 फार्म एवं ई–निविदा सूचना अनुबन्ध का हिस्सा होगा एवं उसमे उल्लिखित समस्त शर्तो/नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

18. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपर्युक्त रूप में देय होगी।
19. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
20. अतिरिक्त जमानत धनराशि/सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित शासनादेश मे निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।
21. बी.ओ.क्यू. की दरों मे जी.एस.टी. को छोड़ कर अन्य समस्त कर सम्मिलित है। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगी।
22. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
23. निविदादाता को प्रत्येक माह के अन्त में अपना बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. किसी प्रकार के सर्वर आदि के अकास्मिक रूप से विलम्बित होने के कारण बिड अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नही होगा।
25. निविदा की वैद्यता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 03 माह की होगी जिसके लिये निर्धारित निविदा के साथ रू 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर रू 1.00 का रेवैन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
26. यदि निर्माण कार्य की जॉच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी। जिसकी वसूली नियमानुसार उससे की जायेगी।
27. ठेकेदार/फर्म के लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नही होगी।
28. कार्य मे प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चैकिंग/टेस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयको से की जायेगी।
29. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में प्रशासकीय विभाग/परिषद द्वारा लगायी गयी पैनाल्टी की वसूली नियमानुसार फर्म/ठेकेदार से की जायेगी।
30. तकनीकी बिड के चेक लिस्ट के अनुरूप, मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरे मान्य होगी। यदि दस्तावेज सही नही पाये जाते है तब प्रथम न्यूनतम् दरों पर भी विचार नही किया जायेगा।
31. शासनादेश संख्या–3385–2015–292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन मे यदि ठकेदार/फर्म नियमानुसार रॉयल्टी प्रपत्र जमा नही करती है तो शासनादेशा संख्या–243/86–2016/77 टी.सी.–11 लखनऊ दिनांक 19.01.2016 मे उल्लिखित दरों मे निर्धारित रॉयल्टी का पॉच गुना ठेकेदार/फर्म के दयेक से वसूली की जायेगी। रॉयल्टी का भुगतान शासनादेश संख्या–1360/86–2020–52(स0)/2019 दिनांक 05.08.2020 के अनुसार सत्यापन कर वैद्य होने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
32. वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठकेदारो के कार्य की प्रगति संतोषजनक नही है, उनकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
33. निर्माण कार्य हेतु मृदुजल की व्यवस्था निविदादाता को स्वय करनी होगी।
34. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
35. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वय की जिम्मेदारी होगी परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नही होगी।
36. वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एन.जी.टी./टी.आई.एम. की निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार किया जाना होगा।
37. निर्माण कार्य विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता मे यदि कोई कमी/प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
38. निर्माण के दौरान जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
39. कार्य की प्राथमिकता के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा समय–समय पर धन अवमुक्त होने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गये कार्य का भुगतान नही किया जायेगा।

40. फर्म को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
41. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात नियमानुसार लेबर सेस हेतु श्रम विभाग से अनुबन्ध का पंजीकरण कराना होगा।
42. सशर्त अथवा प्रतिबन्धित निविदा मान्य नहीं होगी।
43. निविदा प्रपत्र के साथ ही वैद्य चरित्र प्रमाण–पत्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
44. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त मे किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार/फर्म को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्युमुलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य है अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई भी क्लेम मान्य नही होगा।
45. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल के आस–पास निर्मित इमारते/भवनों की सुरक्षा सम्बन्धी शपथ–पत्र रू 100.00 नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।
46. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र जनपद कानपुर नगर का निर्णय अन्तिम/मान्य होगा।
47. फर्म द्वारा कार्यस्थल पर तकनीकी स्टाफ(डिग्री/डिप्लोमा धारक) की तैनाती अनिवार्य रूप से करनी होगी, जिसका शपथ पत्र भी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले निरीक्षणों में तकनीकी स्टाफ की अनुपस्थिति की स्थिति में बीजकों से तकनीकी स्टाफ के मासिक वेतन की कटौती की जायेगी।

(फराज असलम)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. 159 / S-1 / 14 **दिनांक :–** 23-01-2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, नीलगिरी काम्पलेक्स, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कानपुर–02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर/इटावा।
4. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद 104, महात्मा गॉधी मार्ग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को आवास विकास परिषद की वेब साइट में फीड करने का कष्ट करें।
5. सहायक अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय, निर्माण खण्ड–कानपुर–01, कानपुर।
6. सहा. लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/कैशियर/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–कानपुर–01, कानपुर।
7. संगणक/नोटिस बोर्ड निर्माण खण्ड–कानपुर–01, कानपुर हेतु।

अधिशासी अभियन्ता